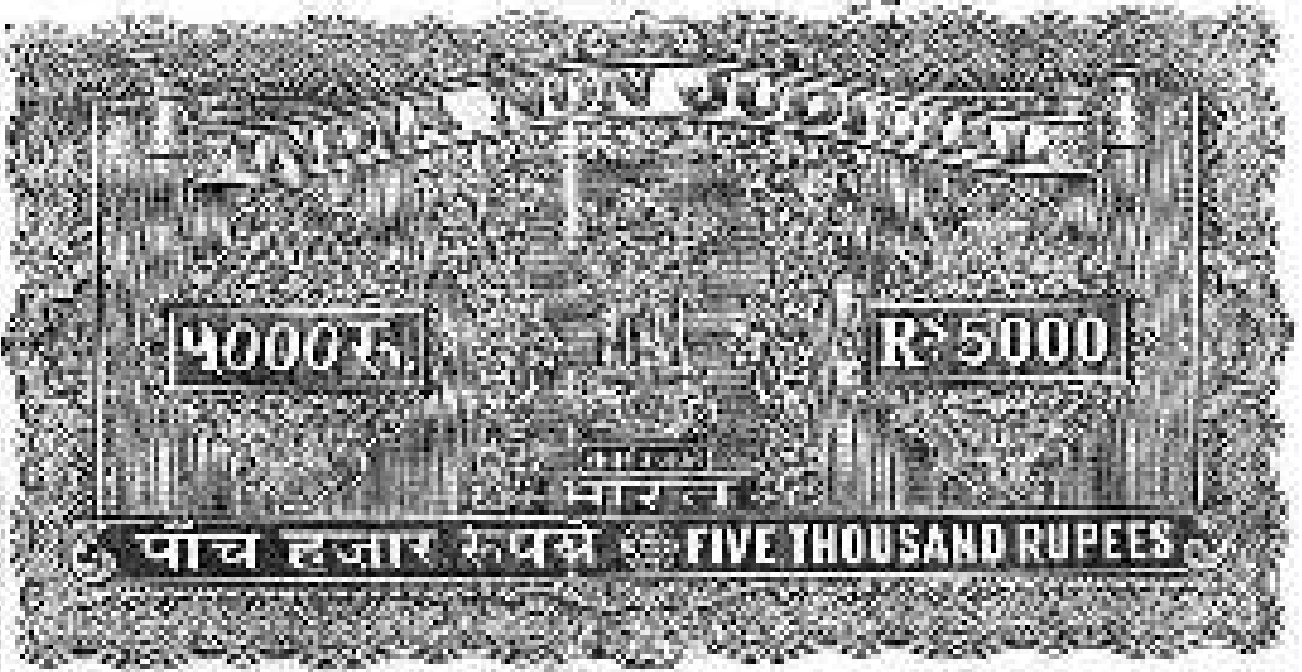
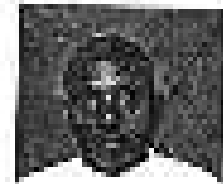




188262



वित्तव्य विलेख

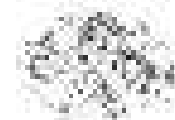
वित्तव्य विलेख : रु. 4,20,500/-
 विलेख फूल : रु. 2,40,000/-
 विलेख शुल्क : रु. 13,100/-
 विलेख : विलेख

वह वित्तव्य विलेख श्रीमती साहाना विद्या स्वतः पंचम विवाही
 -वाम - मुलमयल नगर मुलमल, वरगना विलेख, तहसील व

विलेख विलेख एवं विलेख आगे विलेखाना विलेख विलेख है. विलेख



विलेख विलेख





188263

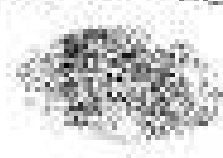
-2-

सतन पुत्र वैद्य वर्तमान निवासी-234, गन्धलोक, अलीगढ़, लखनऊ एवं ल्याई निवासी-राज मिर्जापुर मिर्जापुरा, पोस्ट-बीर्गो, जिला-फतेहपुर राम न पोस्ट-बिगलहा, जिला-फतेहपुर जिसे आगे भेजा कहा गया है, के लिये निष्पादित किया गया।

यह कि विवेकागण नुमि खराब संख्या-255 लब्ध-251 के 1/3 भाग अर्थात् 0.084 हेक्टेयर, व 255 संख्या 0.140 हेक्टेयर के पूरे भाग, कुल संख्या 0.224 हेक्टेयर, स्थित राम मुजफ्फर नगर मुख्यालय, परगना-मिर्जापुर, तहसील व जिला, लखनऊ, का मालिक, कर्मिण व कारिज है तथा उपरोक्त सत्यापित महामणिक

विश्व मिर्जा

विश्व के सतन



2015-16
 2016-17
 2017-18
 2018-19
 2019-20
 2020-21
 2021-22
 2022-23
 2023-24
 2024-25
 2025-26
 2026-27
 2027-28
 2028-29
 2029-30
 2030-31
 2031-32
 2032-33
 2033-34
 2034-35
 2035-36
 2036-37
 2037-38
 2038-39
 2039-40
 2040-41
 2041-42
 2042-43
 2043-44
 2044-45
 2045-46
 2046-47
 2047-48
 2048-49
 2049-50
 2050-51
 2051-52
 2052-53
 2053-54
 2054-55
 2055-56
 2056-57
 2057-58
 2058-59
 2059-60
 2060-61
 2061-62
 2062-63
 2063-64
 2064-65
 2065-66
 2066-67
 2067-68
 2068-69
 2069-70
 2070-71
 2071-72
 2072-73
 2073-74
 2074-75
 2075-76
 2076-77
 2077-78
 2078-79
 2079-80
 2080-81
 2081-82
 2082-83
 2083-84
 2084-85
 2085-86
 2086-87
 2087-88
 2088-89
 2089-90
 2090-91
 2091-92
 2092-93
 2093-94
 2094-95
 2095-96
 2096-97
 2097-98
 2098-99
 2099-00
 2100-01
 2101-02
 2102-03
 2103-04
 2104-05
 2105-06
 2106-07
 2107-08
 2108-09
 2109-10
 2110-11
 2111-12
 2112-13
 2113-14
 2114-15
 2115-16
 2116-17
 2117-18
 2118-19
 2119-20
 2120-21
 2121-22
 2122-23
 2123-24
 2124-25
 2125-26
 2126-27
 2127-28
 2128-29
 2129-30
 2130-31
 2131-32
 2132-33
 2133-34
 2134-35
 2135-36
 2136-37
 2137-38
 2138-39
 2139-40
 2140-41
 2141-42
 2142-43
 2143-44
 2144-45
 2145-46
 2146-47
 2147-48
 2148-49
 2149-50
 2150-51
 2151-52
 2152-53
 2153-54
 2154-55
 2155-56
 2156-57
 2157-58
 2158-59
 2159-60
 2160-61
 2161-62
 2162-63
 2163-64
 2164-65
 2165-66
 2166-67
 2167-68
 2168-69
 2169-70
 2170-71
 2171-72
 2172-73
 2173-74
 2174-75
 2175-76
 2176-77
 2177-78
 2178-79
 2179-80
 2180-81
 2181-82
 2182-83
 2183-84
 2184-85
 2185-86
 2186-87
 2187-88
 2188-89
 2189-90
 2190-91
 2191-92
 2192-93
 2193-94
 2194-95
 2195-96
 2196-97
 2197-98
 2198-99
 2199-00
 2200-01
 2201-02
 2202-03
 2203-04
 2204-05
 2205-06
 2206-07
 2207-08
 2208-09
 2209-10
 2210-11
 2211-12
 2212-13
 2213-14
 2214-15
 2215-16
 2216-17
 2217-18
 2218-19
 2219-20
 2220-21
 2221-22
 2222-23
 2223-24
 2224-25
 2225-26
 2226-27
 2227-28
 2228-29
 2229-30
 2230-31
 2231-32
 2232-33
 2233-34
 2234-35
 2235-36
 2236-37
 2237-38
 2238-39
 2239-40
 2240-41
 2241-42
 2242-43
 2243-44
 2244-45
 2245-46
 2246-47
 2247-48
 2248-49
 2249-50
 2250-51
 2251-52
 2252-53
 2253-54
 2254-55
 2255-56
 2256-57
 2257-58
 2258-59
 2259-60
 2260-61
 2261-62
 2262-63
 2263-64
 2264-65
 2265-66
 2266-67
 2267-68
 2268-69
 2269-70
 2270-71
 2271-72
 2272-73
 2273-74
 2274-75
 2275-76
 2276-77
 2277-78
 2278-79
 2279-80
 2280-81
 2281-82
 2282-83
 2283-84
 2284-85
 2285-86
 2286-87
 2287-88
 2288-89
 2289-90
 2290-91
 2291-92
 2292-93
 2293-94
 2294-95
 2295-96
 2296-97
 2297-98
 2298-99
 2299-00
 2300-01
 2301-02
 2302-03
 2303-04
 2304-05
 2305-06
 2306-07
 2307-08
 2308-09
 2309-10
 2310-11
 2311-12
 2312-13
 2313-14
 2314-15
 2315-16
 2316-17
 2317-18
 2318-19
 2319-20
 2320-21
 2321-22
 2322-23
 2323-24
 2324-25
 2325-26
 2326-27
 2327-28
 2328-29
 2329-30
 2330-31
 2331-32
 2332-33
 2333-34
 2334-35
 2335-36
 2336-37
 2337-38
 2338-39
 2339-40
 2340-41
 2341-42
 2342-43
 2343-44
 2344-45
 2345-46
 2346-47
 2347-48
 2348-49
 2349-50
 2350-51
 2351-52
 2352-53
 2353-54
 2354-55
 2355-56

[illegible]

2. The following are the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors:

John, 2, (-) 100%

$$J_{\text{th}} = P_{\text{th}} / \eta_{\text{ext}}$$

10

[illegible]



188266

-3-

आता खतीनी क्रम संख्या 227 य 47 के अनुसार भूमि विभागागण के नाम का अगल दशमद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विभागागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा जिला को इस दिवस विवेक द्वारा विवेक कर रहा है विभागागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कर्मिल व वापित है एवं वर्तमान समय में उपर भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विभागागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्गित भूमि सभी प्रकार के मालों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विभागागण ने उसे इस निमित्त को पूर्ण करी बच, हिवा, गिरवी या अनुसन्धित इत्यादि नाम दिया है। उपरोक्त भूमि का जसका कोई भाग

दिनांक २०/१०/८३

२०/१०/८३



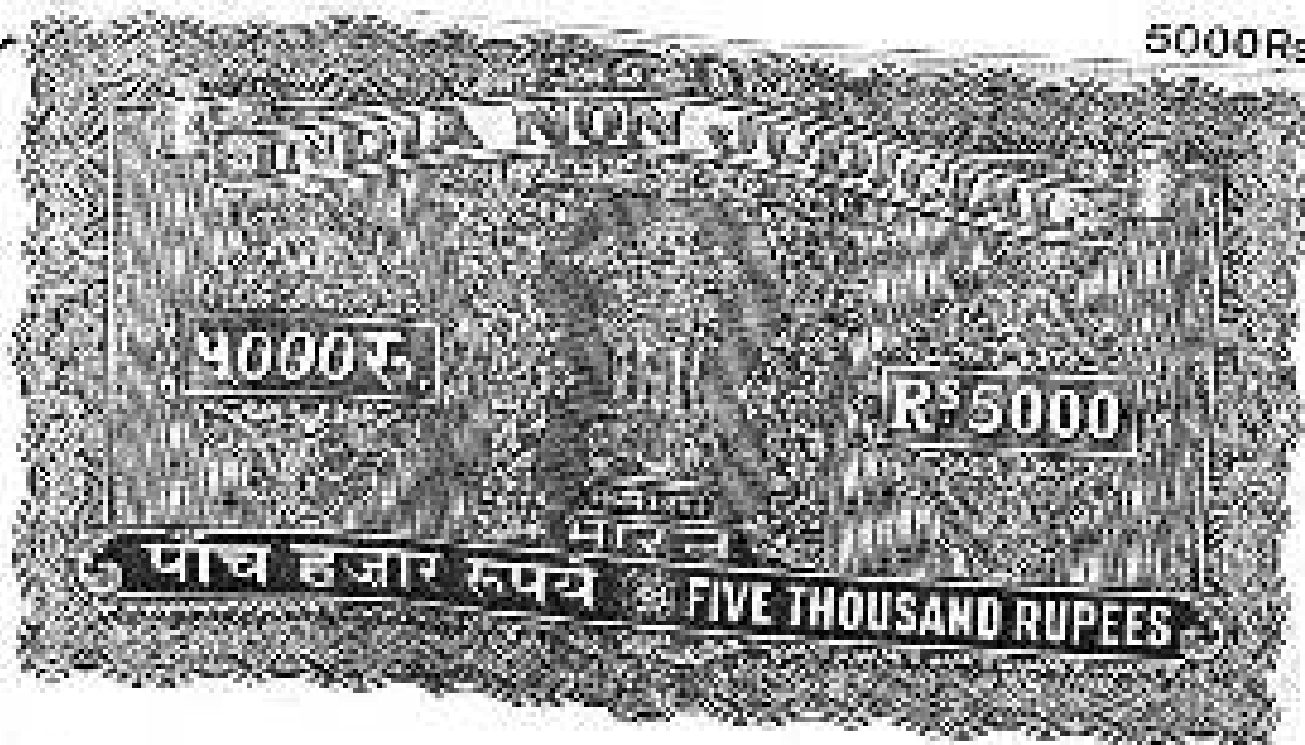
*188265

-4-

यिन्ही न्यायालय या सरकारी कार्यालयों के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही मुक्त हुआ है। विवादों के अलावा उक्त नृनि में यिन्ही अन्य व्यक्तियों का स्वाध, एक या दोवा इत्यादि नहीं है, एवं विवादों को उक्त विषय अन्तर्गत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त लक्ष्मण के फलस्वरूप रु० 4,20,553/- (चार लाख बीस हजार बीस सौ तिरपन अन्ध्या) के प्रतिफल में विस्तृत कि उपरोक्त श्रेया द्वारा विवादों को इस विवेक के अन्त में दो गई अनुसूची में वर्णित विषय के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिलाधी प्रणि को विवादों गयी स्वीकार करता है.

18/10/2017

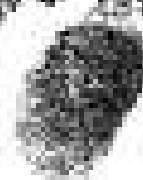
18/10/2017



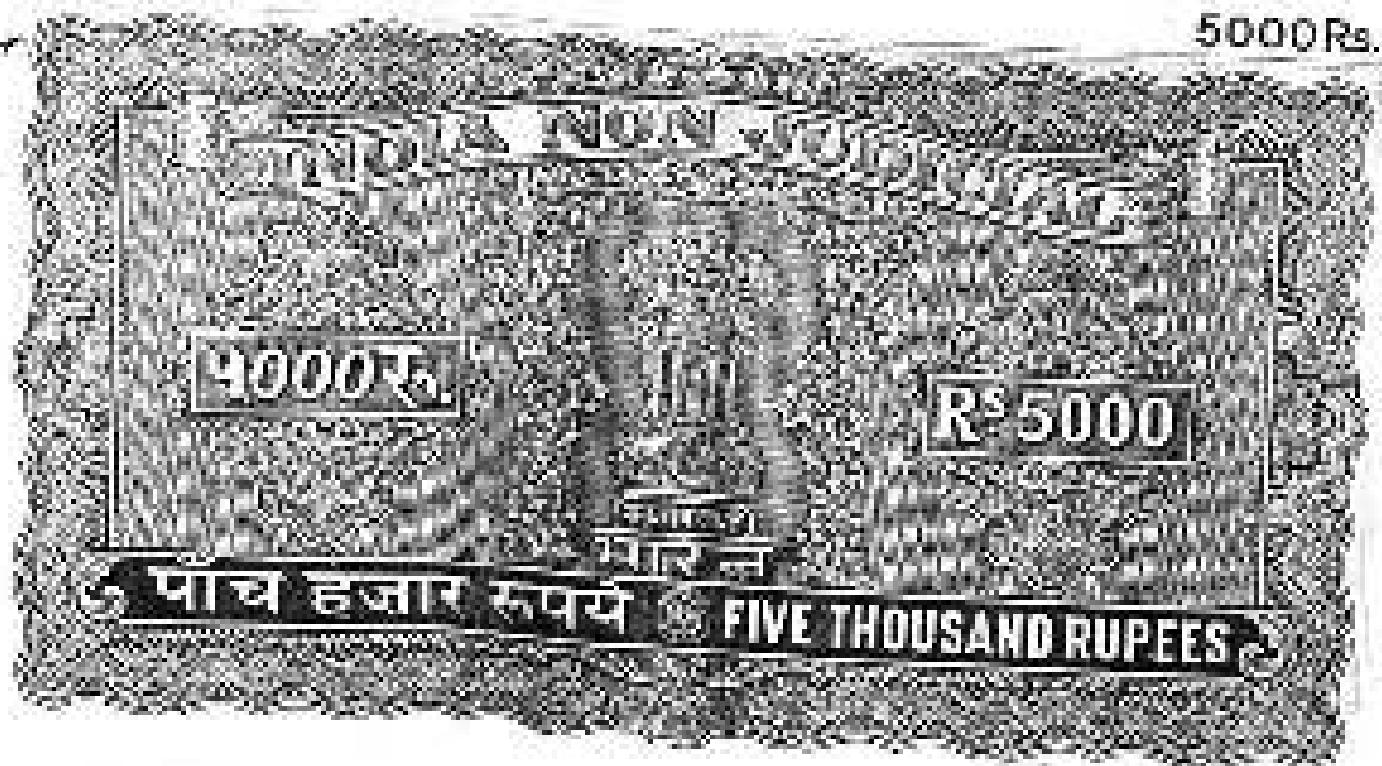
*185266

-5-

अनुसार उस विवेकात्मक अर्थ के साथ उपरोक्त वर्णित भूमि
 निम्नलिखित इस विवेक निवेदन के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत
 दिया गया है, जो कब्जे में दिया है, एवं विवेकात्मक ने विवेकात्मक
 भूमि का कब्जे पर कब्जा होता को बखूबी करा दिया गया है। अब
 उक्त अर्थ पर विवेकात्मक तथा उसके पारिशान का कोई
 अधिकार नहीं है। विवेकात्मक ने निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने
 स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए
 तैयार को स्वीकृत कर दिया है। अब तैयार विवेकात्मक सम्पत्ति एवं
 उसके कब्जे का को अपने सम्मान स्वामित्व व अधिकार व कब्जे

प्राप्त किया


प्राप्त किया

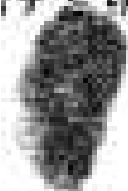



188267

-6-

में सम्पत्ति के रूप में वास्तव एवं उपयोग व उपयोग करने।
 विवेकात्मक अर्थात् किसी प्रकार की अड़थक बाधा नहीं डाल सकते एवं
 न ही कोई गति कर सकते। और यदि विवेकात्मक सम्पत्ति अथवा
 कोई भाग विवेकात्मक के सम्पत्ति में त्रुटि के कारण या कानूनी
 अड़थक या कानूनी त्रुटि के कारण जाता या उसके वारिसान
 विवेकात्मक के कारण के कारण या अधिकार या स्वतन्त्र हो निकल जाते
 तो उन्हें उनके वारिसान, विवेकात्मक इत्यादि को वह एक होगा कि
 वह अपना सम्पत्ति मुद्रास्वयं सब हर्जा व खर्चा, विवेकात्मक की बात,

दिनांक १०/११/७७



दिनांक १०/११/७७



150141

अपनी सम्पत्ति से ज़रूरत अनुसार ऋण कर लें। उस धिया में विवेकागम एवं उसके वारिसान रुजों व रुजों को हेतु बाध्य होगा।

यह कि जेता विवेकागम सम्पत्ति की इच्छित स्वरूप राजस्व अभिलेखा में अपने नाम दर्ज करा ले तो विवेकागम को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विवेकागम के पूरे वा अगर कोई कलाना किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसके विवेकागम भुगतान व वहन करेंगे, विवेकागम को कोई आपत्ति न होगी।

विवेकागम

विवेकागम



1901

-2-

यह कि असीका लहरा नगर आम गुणपकर नगर मुख्य, अर्थगरीय क्षेत्र के विविध आम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सराफा रेट रू० 10,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलीत भूमि 0.124 हेक्टेयर की मालिकान रू० 2,46,400/- होती है। चूंकि यहाँ मूल, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार यहाँ मूल्य पर ही रू० 42,100/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि असीका मिलीत भूमि वृद्धि के उपयोग के लिए बना की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, अ निर्माण आदि नहीं है तथा 200 मी० के अर्धवृत्त में कोई निर्माण

100 के अर्धवृत्त

100 के अर्धवृत्त



१-

नहीं है जिसकी भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनमार्ग मार्ग पर स्थित नहीं है। दिशित भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। दिशितागण व क्रमा दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय दिलेख के निष्कर्ष का समस्त ग्राहक द्वारा वकील किया गया है।

परिशिष्ट : निम्नलिखित विक्रयशुद्ध सम्पत्ति का विवरण

ग्राम सतारा संख्या-123 खम्बा-251 के 1/3 भाग अर्थात् 0. 084 हेक्टेयर, व 255 खम्बा 0.140 हेक्टेयर के पूरे भाग, कुल

1.224 हेक्टेयर

1/3 भाग निम्नलिखित-





- 10 -

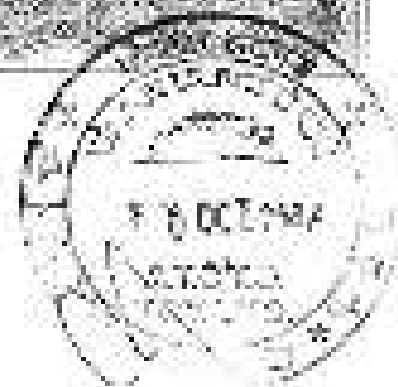
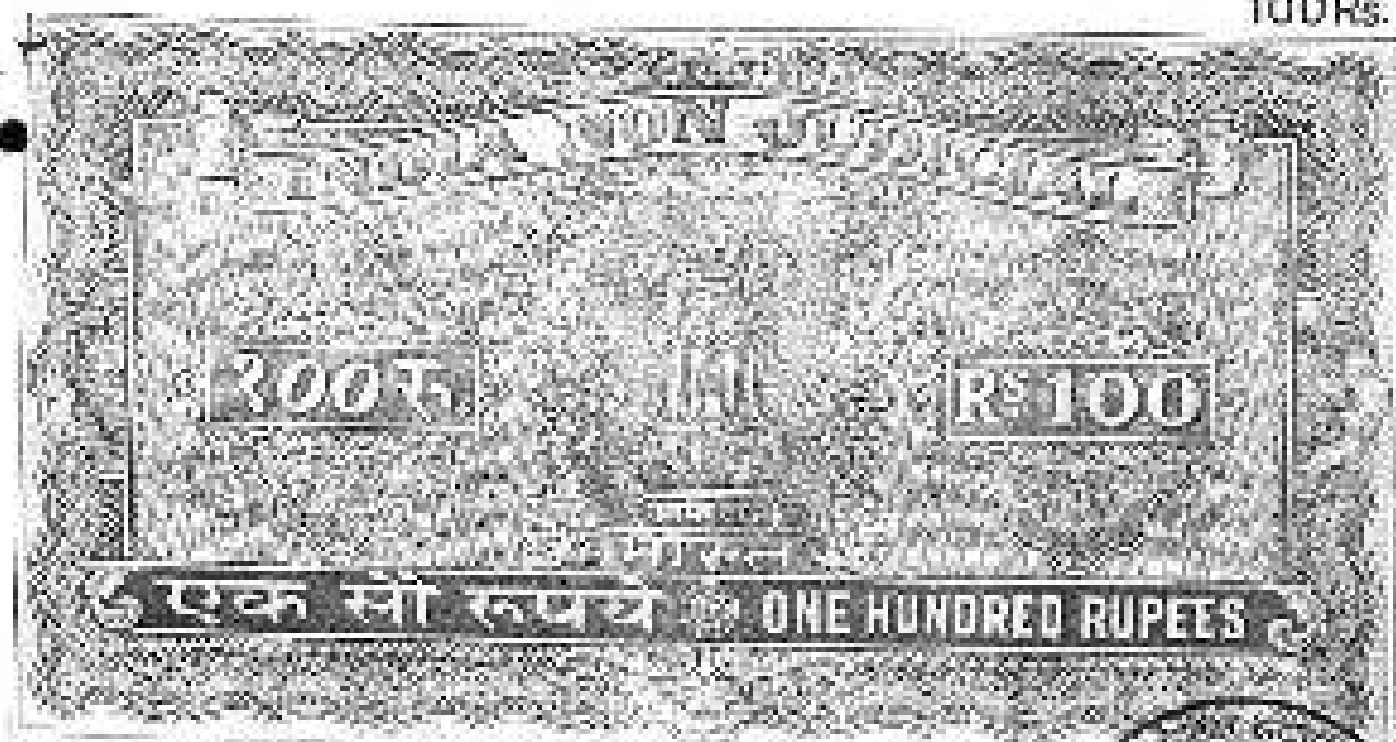
संख्या 0.224 लेवटेअर, सिव्हा ग्राम मुजफ्फर नगर पुरखेत, मसमना
-बिजनौर, ताहसील व जिला लखनऊ, जिला की सीमाद्वी निम्न है।

खसरा नं० 132 संख्या 0.251 लेवटेअर

पुरुष	: खसरा संख्या-249, 251, 252, 132
पत्निय	: खसरा संख्या-197
जगद	: खसरा संख्या-161
दक्षिण	: खसरा संख्या-136

मि. २०२५/२६

मि. २०२५/२६



- 11 -

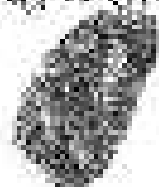
खसरा नं० 255 स्थान 0.140 हेक्टेअर

पूर्व	: खसरा संख्या-253
पश्चिम	: खसरा संख्या-254
उत्तर	: खसरा संख्या-252
दक्षिण	: खसरा संख्या-256

परिशिष्ट : भूगोचर विवरण

युक्त विक्रय मूल्य विस्तारण को ₹ 4,20,553/- (चार लाख बीस हजार पाँच सौ विस्तारण रुपये) केला से बाधा दूर करके खिटाही प्राप्ति विस्तारण स्वीकार करती हैं।

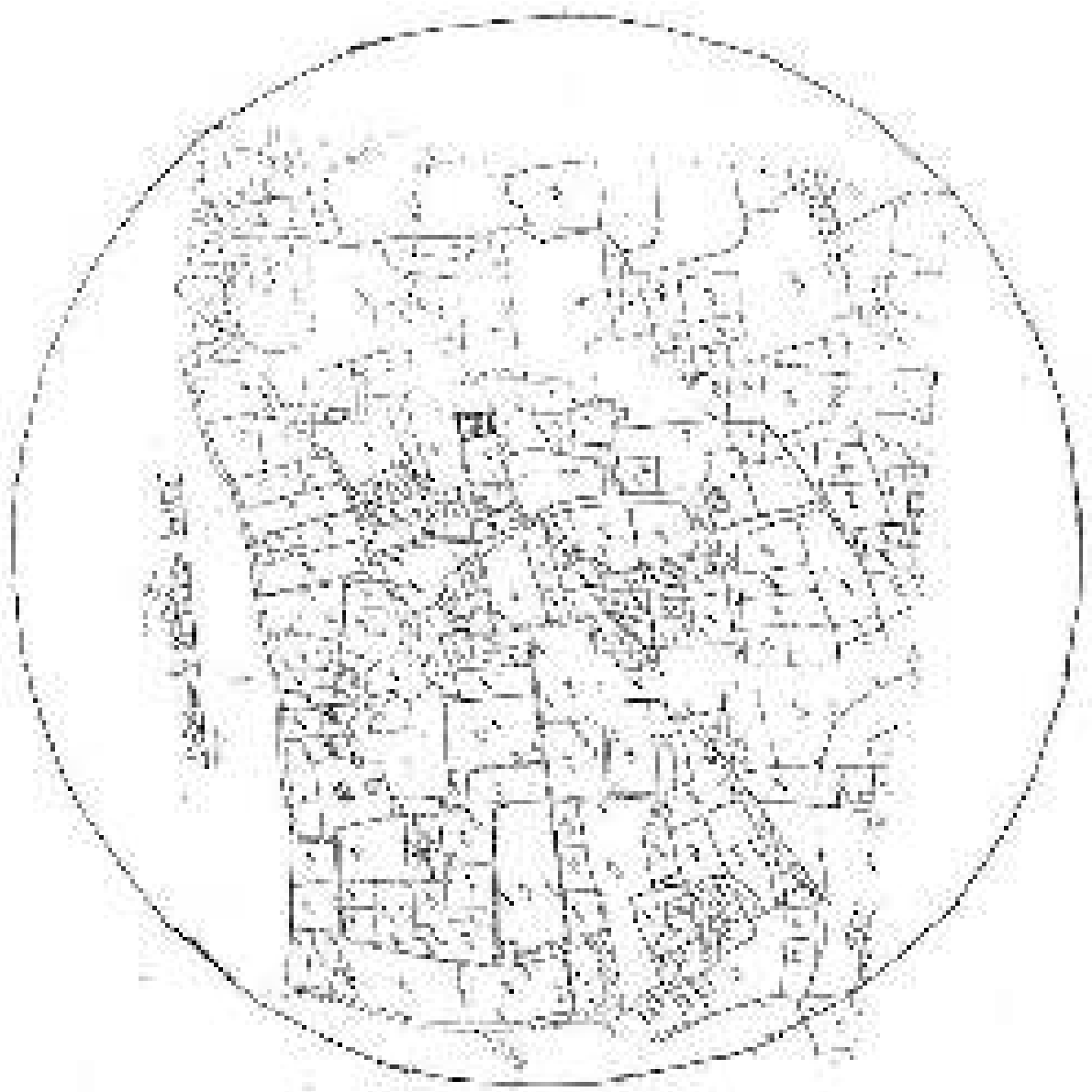
विश्वेश्वर



विश्वेश्वर



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



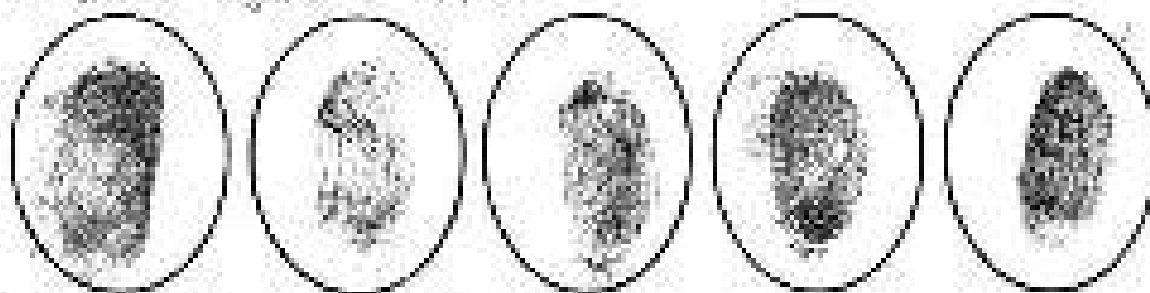
THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

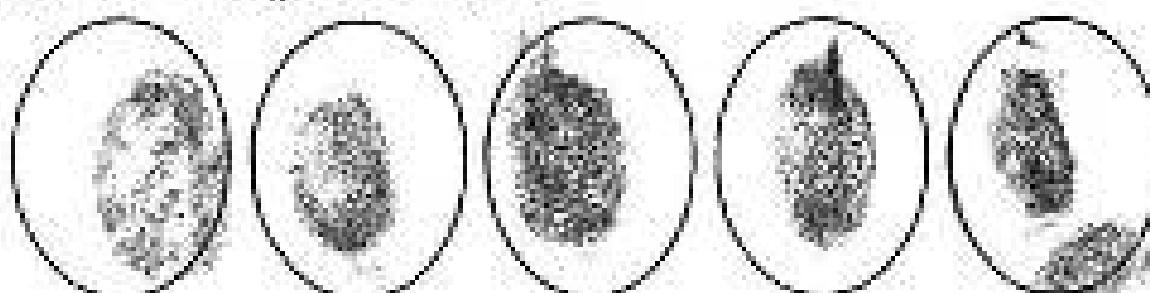
रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स

प्रत्यक्षता/विश्रुता का नाम व पता : श्री. ए. ए. ए.

यह हाथ के अंगुलियों के चिह्न : अंगुली 1, 2, 3, 4, 5



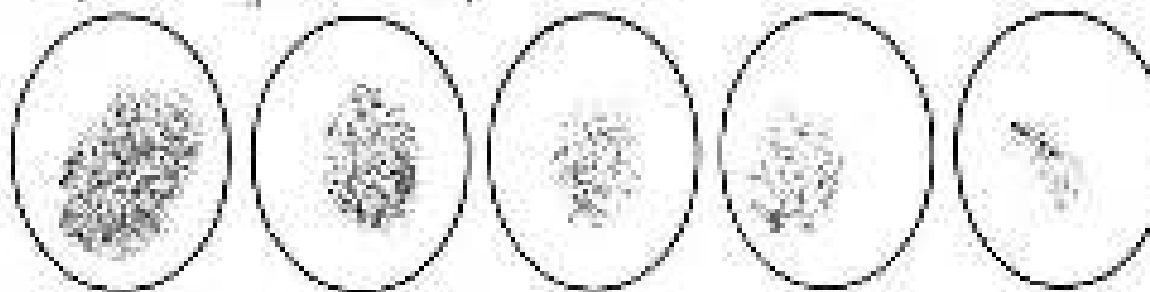
बाहिरी हाथ के अंगुलियों के चिह्न :



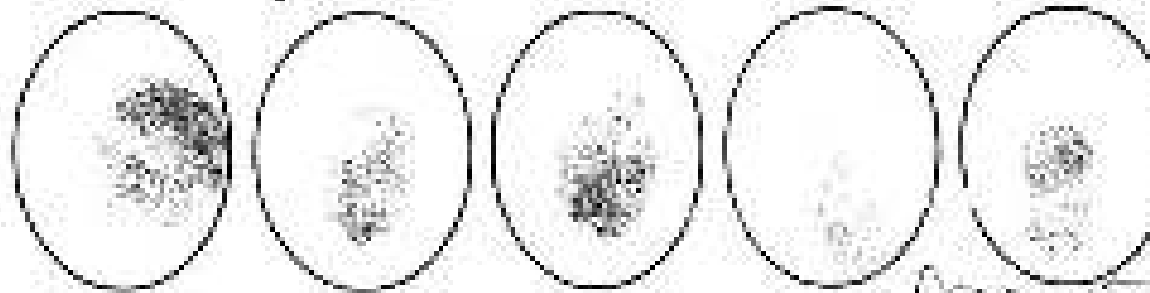
प्रत्यक्षता/विश्रुता का नाम व पता :

प्रत्यक्षता/विश्रुता/अना के द्वारा प्रमाणित

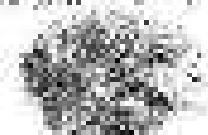
यह हाथ के अंगुलियों के चिह्न : अंगुली 1, 2, 3, 4, 5



बाहिरी हाथ के अंगुलियों के चिह्न :



प्रमाणित के द्वारा



[illegible]